श्रमोदय आवासीय विद्यालय

(भोपाल,इंदौर,ग्वालियर,एवं जबलपुर)

प्रवेश परीक्षा 2026-

(प्रवेश परीक्षा विवरणिका)

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पाल्यों के लिए पूर्णतया निःशुल्क आवासीय विद्यालय

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य M.O.U के माध्यम से संचालित

श्रमोदय आवासीय विद्यालय

प्रवेश परीक्षा - 2026

विवरणिका

परिचय-

मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बालक-बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययन हेतु पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं की शिक्षा, आवास, पठन-पाठन सामग्री आदि का संपूर्ण व्यय विभाग, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल द्वारा किया जाता है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2018-19 से सफलतापूर्वक संचालित है। यह विद्यालय दिनांक 10 जून 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किये गये है, श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबध्द है। चारों श्रमोदय आवासीय विद्यालयों की अधोसंरचना उच्च स्तर की है तथा विद्यार्थियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय सर्व सुविधा संपन्न है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है, प्रवेश परीक्षा संबंधी संपूर्ण विवरण आगामी पृष्ठों पर दिया गया है।

उद्देश्य-

क. पंजीकृत श्रमिकों के बालक - बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

ख. इन विद्यालयों के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक - बालिकाओं का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास करना एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करना।

ग. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्र - छात्राओं को विकास के समान अवसर प्रदान करना।

चयन प्रक्रिया-

- चारों श्रमोदय आवासीय विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8, एवं 9 में छात्र / छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। प्रवेश परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान / पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अभिरूचि एवं तर्कशक्ति विषयों में आयोजित की जायेगी। प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 100 अंकों का होगा, जिसका विषयवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	विषय का नाम	प्रश्न संख्या	निर्धारित अंक	परीक्षा अवधि
1.	हिन्दी	15	15	02 घंटे
2.	अंग्रेजी	15	15	
3.	गणित	15	15	
4.	सामाजिक विज्ञान / पर्यावरण अध्ययन	15	15	
5.	विज्ञान	15	15	
6.	सामान्य अभिरूचि एवं तर्कशक्ति	25	25	
	योग	100	100	

- अभ्यर्थी को चयन हेतु प्रवेश परीक्षा में कम से कम **33 प्रतिशत** अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम अध्ययनरत् कक्षा के माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल मध्यप्रदेश के स्तर का होगा तथा कुछ प्रश्न इससे उच्च स्तर के भी हो सकते हैं।

परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ-

क्र.	विवरण		तिथि
1.	श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की विज्ञप्ति		
2.	आवेदन ऑनलाइन भरे जाने की आरंभ तिथि		
3.	आवेदन ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि		
4.	प्रवेश परीक्षा की	तिथि	
		दिन	
		समय	

नोट:- उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिस्थितिजन्य परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रवेश परीक्षा-

श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

1. **जिलेवार सीट संख्या का निर्धारण-**

शासन के निर्णय अनुसार एक विद्यालय में उपलब्ध सीटों की संख्या का जिलेवार बंटवारा जिले के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से किया गया है। जिले में ऑनलाइन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या के समानुपात में उस जिले को सीट आवंटित किये जाने का प्रावधान रखा गया है। जिलेवार / वर्गवार सीट आवंटन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

उक्त प्रावधान का पालन करते हुये ही परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा।

2. **सीट संख्या का विवरण-**

श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में कक्षा 6वीं हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिये निर्धारित 160 सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा तथा कक्षा 7, 8, एवं 9वीं में पूर्व शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा। विद्यालय वार रिक्त सीटों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। परिस्थिति अनुरूप विद्यालयवार रिक्त सीटों का विवरण परिवर्तनीय होगा।

3. **योग्यता-**

I. अभ्यर्थी के माता/पिता म.प्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो व उनके पास वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हो।

II. अभ्यर्थी जिस श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते है। निर्माण श्रमिक का पंजीयन उस श्रमोदय विद्यालय से संबद्ध जिले में हो।

III. प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी उस जिले, जिससे संबद्ध श्रमोदय विद्यालय में वह प्रवेश लेना चाहता है/चाहती है, की किसी सरकारी सहायता प्राप्त / अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों अथवा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र "बी" सहित पूर्व शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान कक्षा 5वीं / 6वीं / 7वीं / 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिये।

IV. ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता / पिता मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत है ये यदि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के रूप में पंजीयन की पात्रता रखते हैं तो वे उनके माता / पिता द्वारा म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करने पर आवेदन कर सकेंगे।

V प्रवेश प्रक्रिया 2026 पूर्ण होने उपरान्त यदि किसी श्रमोदय विद्यालय में कक्षा 6वी/7वीं/ 8वीं/9वीं में रिक्त सीटें रह जाती है, तो इस स्थिति में अन्य श्रमोदय विद्यालयों की प्रतिक्षा सूची से वरीयता एवं पालकों की स्वेच्छा के आधार पर संबंधित श्रमोदय विद्यालय में प्रदेश दिया जा सकेगा।

4. **परीक्षा केन्द्र-**

पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिस जिले से ऑनलाइन पंजीकृत हैं, उसकी संतान जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है, उसी संबंधित जिले के मुख्यालय पर बनाये गये परीक्षा केन्द्र, जिसका उल्लेख अभ्यर्थी को जारी प्रवेश पत्र में किया जायेगा, से ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। किसी अभ्यर्थी को अन्य किसी भी परीक्षा केन्द्र में बैठने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी को मूल प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी के फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र की जांच की जायेगी। अतः मूल पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड / बैंक पासबुक / विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र / किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

5. **परीक्षा की भाषा-**

प्रवेश परीक्षा प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगें।

6. **आयु सीमा-**

आयु की गणना दिनांक 01.04.2026 से की जाएगी ।

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा निम्नानुसार होगी-

क्र.	कक्षा	आयुसीमा
1.	6वीं	जन्मतिथि 01/04/2013 से पूर्व की 31/03/2016 के बाद की न हो
2.	7वीं	जन्मतिथि 01/04/2012 से पूर्व की 31/03/2015 के बाद की न हो
3.	8वीं	जन्मतिथि 01/04/2011 से पूर्व की 31/03/2014 के बाद की न हो
4.	9वीं	जन्मतिथि 01/04/2010 से पूर्व की 31/03/2013 के बाद की न हो

यह शर्त अनुसूचित जातियाँ / अनुसूचित जन-जातियों समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगी। अभ्यर्थी की उम्र के संबंध में संदेह होने पर उसके प्रवेश दिये जाने के समय मेडिकल बोर्ड से आयु की प्रमाणिकता हेतु जाँच कराई जायेगी और मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

नोटः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act- 2009) के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में छूट दिये जाने पर विचार किया जा सकता है-

उक्त संबंध में प्रमाणिक जानकारी एवं गुण - दोष के आधार पर निर्णय आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा लिया जायेगा।

7 उत्तर अंकित करने की विधि-

- ओ.एम.आर. शीट पर अंकित करने के लिये नीले/काले बॉल पेन का उपयोग करें।
- ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकित करने संबंधी दिये गये निर्देशानुसार ही अभ्यर्थी को उत्तर अंकित करने होगे। किसी अन्य विधि से उत्तर अंकित किये जाने पर उत्तर अमान्य कर दिया जायेगा।
- प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प होंगे, जिसमें केवल एक ही उत्तर सही होगा।
- एक से अधिक विकल्प चुने जाने पर उत्तर गलत माना जायेगा, चाहे फिर उनमें से एक उत्तर सही क्यों न हो।
- गलत विकल्प चुने जाने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

8 प्रश्न पत्र हल करने संबंधी दिशा निर्देश –

- अभ्यर्थी प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़े।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में औसतन एक मिनट का समय लगता है, इसलिये अभ्यर्थी को किसी एक विशेष प्रश्न पर बहुत अधिक समय नहीं लगाना चाहिये। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो उसे छोड़ कर अगले प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये, इससे समय की बचत होती है। एक बार सारे प्रश्न हल करने के बाद वह प्रथम बार में छोड़े गये प्रश्न को पुनः हल करने का प्रयास कर सकते हैं।
- प्रश्नों को हल करने के लिये बिना किसी अंतराल के कुल 02 घंटे का समय मिलेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।
- परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

9 श्रमोदय आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया

- प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पूर्णतः ऑनलाईन पद्धति से एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल **www.mponline.gov.in** पर किये जायेंगे।
- ऑनलाइन फार्म भरने हेतु पंजीकृत (ऑनलाईन रजिस्टर्ड) निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियाँ ही पात्र होंगे।
- श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदक को सर्वप्रथम वेबसाइट **www.mponline.gov.in** पर जाकर **"श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026"** पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाईन आवेदन, आवेदक द्वारा एक ही बार किया जा सकता है। एक परिवार के एक से अधिक आवेदक (निर्माण श्रमिक के परिवार के एक से अधिक संतान) होने पर उन्हें श्रमोदय आवासीय विद्यालय के पोर्टल पर पृथक-पृथक पंजीयन करना होगा तथा पंजीयन उपरांत आवेदन भरने की प्रक्रिया की जा सकेगी।
- आवेदन किये जाने के उपरांत आवेदक को पोर्टल से ही किये गये आवेदन की फोटोयुक्त रसीद प्राप्त होगी।
- ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियॉ ध्यानपूर्वक की जावें। आवेदन ऑनलाइन किये जाने / भरे / जमा (Submit) किए जाने के उपरांत उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- **आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है।**

10. **प्रवेश पत्र प्राप्त (Download) करने की प्रक्रिया -**

आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि के 07 दिन उपरांत प्रवेश पत्र मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल के पोर्टल www.mpsos.nic.in से प्राप्त (Download) किया जा सकेगा।

11. श्रमोदय आवासीय विद्यालय से संलग्न जिलों का विवरण -

निम्न सारणी के कॉलम - 2 में उल्लेखित श्रमोदय विद्यालयों में संलग्न जिलों (कॉलम क्रमांक-4 में उल्लेखित) के अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिये पात्र होंगे, जिसका स्पष्ट विवरण निम्नवत है -

क्र.	श्रमोदय आवासीय विद्यालय का नाम	संबंधित संभाग	संबंधित जिले
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**भोपाल**	भोपाल	भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ एवं सीहोर
		होशंगाबाद	होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल
		सागर	सागर, छतरपुर, निवाड़ी, दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना
2.	**इंदौर**	इंदौर	इंदौर, धार, झाबुआ, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन अलीराजपुर, बड़वानी
		उज्जैन	उज्जैन, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम , शाजापुर
3.	**ग्वालियर**	ग्वालियर	मुरैना, श्योपुर, भिण्ड
		चंबल	ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी , दतिया, गुना
4.	**जबलपुर**	जबलपुर	जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाडा, पांढुर्ना, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी, डिण्डौरी, [illegible]
		रीवा	रीवा, मऊगंज सतना, मैहर सीधी, सिंगरौली,
		शहडोल	शहडोल, अनूपपुर, उमरिया

12. **चयन तथा प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश-**

- अभ्यर्थियों के श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल के पोर्टल www.mpsos.nic.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- केवल प्रवेश परीक्षा में सफल होने मात्र से ही अभ्यर्थियों को श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं समझा जायेगा। प्रवेश प्राप्त करने के समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश होने तक चयन अस्थाई माना जायेगा।
- किसी भी आपत्ति की स्थिति में आयुक्त, लो. शि. सं. भोपाल का निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा।
- अभ्यर्थी तथा उनके माता / पिता/ अभिभावक ध्यान दें कि चयनित छात्र / छात्रा को उसी जिले से संबंधित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा, जहाँ से वह प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।
- यदि चयनित परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की विकलांगता (अस्थि, श्रवण एवं दृष्टि संबंधी विकलांगता) की श्रेणी में आता है, तो उसे प्रवेश लेते समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- थर्ड जेंडर वर्ग के अभ्यर्थी अपने जिले के श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। थर्ड जेंडर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए विशेष प्रकार का आरक्षण नहीं है।
- अभ्यर्थी/पालकों को सलाह दी जाती है कि श्रमोदय आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की मेरिट (प्रावीण्य) सूची में स्थान प्राप्त करने की दशा में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन एवं चयन की सुनिश्चितता हो जाने के उपरांत ही तत्कालीन विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) निकलवायें।
- अभ्यर्थी यदि किसी आरक्षित सीट के विरुद्ध आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में आरक्षित श्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
- प्रवेश प्रक्रिया की उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच / पुर्नमूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
- विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल (म.प्र.) रहेगा।

13. **प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावकों को प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-**

- पहचान पत्र (जैसे- आधारकार्ड / वोटर कार्ड / बी.पी.एल. कार्ड / राशन एवं बैंक पासबुक)।
- निर्माण श्रमिक का अद्यतन वैध ऑनलाइन पंजीयन प्रमाण पत्र (कर्मकार कार्ड)।
- निवास का प्रमाण पत्र (जैसे- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र)।
- अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र।
- पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- अभ्यर्थी एवं अभिभावक का आधार कार्ड।
- अंतिम उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची ।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- परिवार की समग्र आई.डी।
- स्थाई जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु) ।
- अभ्यर्थी/अभिभावक की पासपोर्ट आकार की 06 फोटो।
- अभ्यर्थी का शासकीय चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र ।

14. आरक्षण के संबंध में-

जिलेवार आवंटित सीट संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश के द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

15. विशेष परिस्थितियों में प्रकरण के पूर्ण परीक्षण के पश्चात् यदि प्रकरण उपयुक्त पाया जाता है तो आयुक्त, लोक शिक्षण की अनुमति से विद्यार्थी का अन्तर श्रमोदय विद्यालय स्थानांतरण किया जा सकता है ।

16. अनुचित साधन-

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप / गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा किये जाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जायेगा -

16.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।

16.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना।

16.3 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री (किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा, इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि) रखना।

16.4 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

16.5 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न पुस्तिका से अन्य किसी प्रकारे से नकल करना।

16.6 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न पुस्तिका की अदला-बदली करना।

16.7 सक्षम अधिकारी के निर्देशों (जैसे- नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों / प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना, सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार, उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस करने से मना करना) अवहेलना / अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

उपरोक्त बिन्दुओं को अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक / केन्द्र अधीक्षक / वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी में माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

17. उपरोक्त विवरणिका में दिये गये नियम एवं शर्तों में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। परिवर्तन संबंधी सूचना मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल के पोर्टल www.mpsos.nic.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश